

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य.

(सिविल अपील नंबर 5390 ऑफ 2007)

21 मार्च 2017

[मदन बी. लोफुर और आर. के. अग्रवाल, जज]

कर/कराधान - बिहार वित्त अधिनियम, 1981 - धारा 19 'सूचना' के तहत 'लेखापरीक्षा आपति' को शामिल करता है या नहीं - निर्णय: धारा 19 में उपयोग की गई "सूचना" शब्द की सबसे व्यापक सीमा है और इसे संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें न केवल बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी बल्कि ऐसी नई जानकारी या तथ्य भी शामिल हैं जो पूर्व में अभिलेख में नोटिस या जांच में नहीं आए थे। यदि प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट हो कि उचित आधार मौजूद है, तो निर्धारण अधिकारी का अधिकार पुनः मूल्यांकन करने तक विस्तारित होता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, निर्धारण अधिकारी ऑडिट टीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि अपीलकर्ता- कंपनी का कोई भी कारोबार आकलन से बच गया था ताकि धारा 19 को लागू किया जा सके - पुनर्मूल्यांकन आदेश को इसलिए क्षेत्राधिकार के बिना माना गया और तदनुसार निरस्त कर दिया गया - केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 - बिहार बिक्री कर नियम - नियम 12, 20 - प्रपत्र XIV, IXC.

शब्द और वाक्यांश "सूचना" - बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के संदर्भ में अर्थ पर चर्चा की गई।

अपील को मंजूरी देते हुए, न्यायालय ने निरधारित किया: 1.1 बिहार वित्त अधिनियम, 1981 ('राज्य अधिनियम') की धारा 19 की उप-धारा (1) बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि सक्षम प्राधिकारी, सूचना प्राप्त होने पर, यदि संतुष्ट हो कि यह मानने का उचित आधार मौजूद है कि किसी पंजीकृत डीलर या उस डीलर का कोई कारोबार, जिसे किसी अवधि के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से इंकार किया गया है, किसी कारण से आकलन से बच गया है या धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत आकलित किसी ऐसे डीलर का कोई कारोबार कम आकलित किया गया है या सही लागू दर से कम दर पर आकलित किया गया है, तो वह आकलन आदेश की तारीख से आठ वर्षों के भीतर, ऐसे कारोबार के संबंध में कर की राशि का आकलन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। [पैरा 19] [690-E-F]

1.2 ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, 'सूचना' का अर्थ है किसी के बारे में बताई गई, सुनी गई या खोजी गई तथ्य। लॉ लेक्सिकॉन 'सूचना' शब्द को सूचित करने की क्रिया या प्रक्रिया, संचार या ज्ञान प्राप्ति के रूप में वर्णित करता है। 'सूचना' का अभिप्राय किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त निर्देश या ज्ञान से है जो तथ्य या पक्षों के बारे में हो या कराधान से संबंधित कानून के बारे में हो। केवल सक्षम प्राधिकरण द्वारा एक ही तथ्य और अभिलेख पर दूसरी बार विचार करने या मत बदलने से 'सूचना' की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन उपर्युक्त धारा में उपयोग की गई "सूचना"

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य

सबसे व्यापक सीमा की है और इसे संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें न केवल बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी बल्कि अभिलेख में उपलब्ध नई जानकारी या तथ्य भी शामिल हैं जिन्हें पहले नोटिस या जांच में नहीं लाया गया था। उदाहरण के लिए, यदि मूल मूल्यांकन आदेश में कोई गलती नहीं पाई गई है, तो आगे की जांच में यदि यह किसी अन्य मूल्यांकनकर्ता या यहां तक कि किसी अधीनस्थ या वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा पाई जाती है, तो इसे अधिकारी के लिए प्रकट की गई जानकारी माना जाएगा। यदि गलती स्वयं अभिलेख से बाहर नहीं है और सूचना देने वाले ने जानकारी अभिलेख से प्राप्त की है, तो यह धारा 19 के अर्थ में उसकी जानकारी होगी। इस प्रकार के स्पष्ट गलतियों के मामलों में, यदि उस सूचना से मूल्यांकन से छूट, कम मूल्यांकन या गलत मूल्यांकन का पता चलता है, तो अभिलेख स्वयं एक सूचना का स्रोत हो सकता है। [पैरा 21] [691-D-H; 692-A-B]

1.3 मूल्यांकन कार्यवाही को पुनः खोला जा सकता है यदि लेखापरीक्षा आपत्ति ऐसे तथ्यात्मक जानकारी की ओर इशारा करती है जो पहले से अभिलेख में उपलब्ध है और जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था या उसका विचार नहीं किया गया था। इसी प्रकार, यदि ऑडिट कुछ बाहरी अभिलेख से उपलब्ध जानकारी या तथ्यों या किसी गणितीय गलती की ओर इशारा करता है, तो मूल्यांकन को पुनः खोला जा सकता है। [पैरा 22] [692-C]

आयकर आयुक्त बनाम पी. वी. एस. बीडीज़ प्रा. लि. (1998) 9 एससीआर 272 : [1998] 2 सुप्य. एससीआर 547; आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाम मिस गुरबक्स राय हरबक्स राय (1971) 3 एससीसी 654 : [1972] 1 एससीआर 357; फूलचंद बजरंग लाल और अन्य बनाम आयकर अधिकारी और अन्य (1993) 4 एससीसी 77 : [1993] 1 सुप्य. एससीआर 28; आनंदजी हरिदास और कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एस. पी. कास्तुरे और अन्य एआईआर 1968 एससी 565 : [1968] एससीआर 661 - पर भरोसा किया गया।

1.4 'सूचना' का अभिप्राय बाहरी स्रोत से प्राप्त निर्देश या ज्ञान से है जो तथ्यों या पक्षों के बारे में हो या कराधान से संबंधित कानून के बारे में हो। प्राप्त जानकारी के आधार पर यदि मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है कि उचित आधार मौजूद है, तो मूल्यांकन अधिकारी का अधिकार पुनः मूल्यांकन करने तक विस्तारित होता है। यदि किसी कारणवश किसी भी हिस्से का कारोबार मूल्यांकन से छूट गया है या कम मूल्यांकित किया गया है, तो मूल्यांकन वैध होगा, भले ही पहले की मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पास किया गया आदेश और उत्तराधिकारी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपनाया गया सामग्री समान हो। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले में मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट था या नहीं। [पैरा 27] [694-H; 695-A-C]

1.5 ऑडिट टीम की रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि मूल्यांकन अधिकारी ऑडिट टीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संतुष्ट नहीं था कि अपीलकर्ता कंपनी का कोई कारोबार मूल्यांकन से छूट गया है ताकि धारा 19 को लागू किया जा सके। [पैरा 29] [699-B-C]

मिस भारतीय और ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी, नई दिल्ली बनाम आयकर आयुक्त, नई दिल्ली (1979) 4 एससीसी 248 : [1980] 1 एससीआर 442; भीमराज मदानलाल बनाम बिहार राज्य और अन्य (1984) 56 एसटीसी 273; उषा सेल्स (प्रा.) लि. बनाम बिहार राज्य (1985) 58 एसटीसी 217; उप आयुक्त बिक्री कर (कानून), राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम मिस थॉमस स्टीफन और कंपनी लि., क्विलोन (1988) 2 एससीसी 264 : [1988] 3 एससीआर 248; कस्टम्स आयुक्त, मुंबई बनाम विर्गो स्टील्स, बॉम्बे और अन्य

(2002) 4 एससीसी 316 : [2002] 2 एससीआर 934; सुप्रीम पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कलकत्ता और अन्य (2010) 11 एससीसी 593 : [2010] 3 एससीआर 798; चट्टूराम और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, बिहार एआईआर 1947 एफसी 32 - संदर्भित।

मामला कानूनी संदर्भ

[1980] 1 SCR 442	का संदर्भ	पैरा 11 में किया गया
(1984) 56 STC 273	का संदर्भ	पैरा 11 में किया गया
(1985) 58 STC 217	का संदर्भ	पैरा 11 में किया गया
[1988] 3 SCR 248	का संदर्भ	पैरा 11 में किया गया
[2002] 2 SCR 934	का संदर्भ	पैरा 15 में किया गया
[2010] 3 SCR 798	का संदर्भ	पैरा 15 में किया गया
AIR 1947 FC 32	का संदर्भ	पैरा 15 में किया गया
[1998] 2 Suppl. SCR 547	पर भरोसा	किया गया पैरा 23 में
[1972] 1 SCR 357	पर भरोसा	किया गया पैरा 24 में
[1993] 1 Suppl. SCR 28	पर भरोसा	किया गया पैरा 25 में
[1968] SCR 661	पर भरोसा	किया गया पैरा 26 में

सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र: सिविल अपील संख्या 5390 ऑफ 2007.

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 17.11.2006 को पारित निर्णय और आदेश से संबंधित WP संख्या 2630 ऑफ 2006 से।

प्रवीण एच. पारेख, सीनियर एडवोकेट, समीर पारेख, सुमित गोयल, श्रीमती रुखमिनी बांबडे, श्रीमती रितिका (एम/एस. पारेख एंड कंपनी के लिए), अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट।

अमरेंद्र सरन, अजीत कुमार सिन्हा, सीनियर एडवोकेट, सोमेश झा, आर. के. ओझा, अनिल के. झा, प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय

र. के. अग्रवाल, ज. द्वारा 1. वर्तमान अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की डिवीजन बेंच द्वारा 17.11.2006 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने एम/एस लार्सन

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य

एंड टुब्रो लिमिटेड-अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और 27.02.2006 को डिप्टी कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स, अर्बन सर्कल, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश को बनाए रखा।

2. संक्षिप्त तथ्य:

(a) अपीलकर्ता कंपनी, जिसकी पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और पूरे देश में निर्माण, व्यापार, लीजिंग और निर्माण व्यवसाय में संलग्न है। संबंधित समय पर, अपीलकर्ता कंपनी अपने ग्राहक, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (TISCO) के लिए सिविल कार्य अनुबंधों को पूरा कर रही थी और बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (जिसे 'राज्य अधिनियम' कहा जाएगा) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे 'केंद्रीय अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत वाणिज्यिक कर विभाग, अर्बन सर्कल, जमशेदपुर में अपने रिटर्न दाखिल कर रही थी।

(b) निर्धारण वर्ष (AY) 1991-92 के लिए, अपीलकर्ता कंपनी ने राज्य अधिनियम के तहत रिटर्न दाखिल किए। हालांकि, उपर्युक्त अवधि, यानी AY 1991-92 के संबंध में आकलन प्रक्रिया 1996 में पूरी की गई और 24.01.1996 को आकलन अधिकारी द्वारा एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया।

(c) आकलन प्रक्रिया के बाद, बिहार के ऑडिटर जनरल की एक ऑडिट टीम ने 24.01.1996 को पारित मूल्यांकन आदेश का ऑडिट किया और पाया कि डीलर को Rs. 3,12,47,916/- की छूट दी गई थी, जो अपीलकर्ता कंपनी द्वारा कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान उपयोग किए गए सामान की राशि थी। अपीलकर्ता कंपनी ने दावा किया कि ऐसा सामान कर का भुगतान करके खरीदी गई थी लेकिन कोई घोषणा फॉर्म IX-C और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि फॉर्म IX-C का उत्पादन या घोषणा अनिवार्य थी, इसलिए दावा स्वीकार्य नहीं था और उक्त तथ्य आकलन अधिकारी को सूचित किया गया।

(d) 28.09.2000 को, वाणिज्यिक कर कमिश्नर, अर्बन सर्कल, जमशेदपुर के कार्यालय ने अपीलकर्ता कंपनी को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया कि क्यों न इस पर कर लगाया जाए, जो राज्य अधिनियम की धाराओं के तहत गलत तरीके से छूट दी गई थी।

(e) अपीलकर्ता कंपनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, 27.02.2006 को डिप्टी कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स, अर्बन सर्कल, जमशेदपुर द्वारा एक पुनः-मूल्यांकन आदेश पारित किया गया, जिसके तहत अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ Rs. 35,72,475/- की अतिरिक्त मांग की गई।

(f) पुनःमूल्यांकन आदेश दिनांक 27.02.2006 से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष W.P. (T) संख्या 2630 ऑफ 2006 के रूप में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने 17.11.2006 को पारित आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और डिप्टी कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स, अर्बन सर्कल, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2006 को बरकरार रखा।

(g) 17.11.2006 के आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता कंपनी ने विशेष अनुमति के द्वारा इस अपील को दायर किया।

3. अपीलकर्ता-कंपनी के लिए श्री प्रवीण एच. पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के लिए श्री अमरेंद्र शरण और श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और रिकॉर्ड की समीक्षा की।

विचार के लिए बिंदु:

4. इस अदालत के समक्ष विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या बिहार के ऑडिटर जनरल की ऑडिट टीम द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर, आकलन अधिकारी इस बात से संतुष्ट थी कि अपीलकर्ता कंपनी का एक हिस्सा आकलन से बच गया है, जो राज्य अधिनियम की धारा 19 के तहत आता है, जिस आधार पर आकलन अधिकारी पुनः-मूल्यांकन कर सकता है?

विपरीत दावे:

5. अपीलकर्ता कंपनी के लिए सीनियर वकील ने तर्क किया कि 'लेखापरीक्षा आपत्ति' को राज्य अधिनियम की धारा 19 के तहत 'जानकारी' के रूप में नहीं माना जा सकता, जिस आधार पर असेसिंग अधिकारी अपनी राय बदल सकता है और पुनः-मूल्यांकन कर सकता है। 'लेखापरीक्षा आपत्ति' उस कर से संबंधित है जो 'उपभोग्य' पर लगाया गया है, जिसमें कोई बिक्री/धारित बिक्री शामिल नहीं है। उपभोग्य स्वाभाविक रूप से ऐसे सामान होते हैं जिनका उपयोग अपनी खपत के लिए किया जाता है। मूल्यांकन आदेश दिनांक 24.01.1996 ने सही ढंग से इस तथ्य को दर्ज किया है।

6. सीनियर वकील ने आगे तर्क किया कि मूल मूल्यांकन आदेश ने विशेष रूप से विचार किया कि विवादित आइटमों पर राज्य अधिनियम के तहत खरीद कर का भुगतान किया जाना चाहिए या नहीं, और इसे नकारात्मक रूप में निर्णय लिया गया था। इसलिए, बाद में उन आइटमों को कर लगाना आकलन अधिकारी द्वारा बहुत ही तथ्यों की राय का परिवर्तन है जो मूल्यांकन आदेश दिनांक 24.01.1996 के समय उपलब्ध थे।

7. सीनियर वकील ने आगे तर्क किया कि राज्य अधिनियम की धारा 11 के तहत और बिहार बिक्री कर नियम, 1983 के नियम 12 के तहत फॉर्म IX-C की गैर-फाइलिंग इस मामले के तथ्यों में कर की देनदारी को आकर्षित नहीं करती है, क्योंकि सामान 'स्वयं के उपयोग' के लिए उपयोग किए जाते हैं और इन सामानों की बिक्री या 'धारित बिक्री' नहीं होती है जिसमें किसी को संपत्ति का हस्तांतरण शामिल हो।

8. यह भी तर्क किया गया कि राज्य अधिनियम की धारा 19 को नियम 20 और फॉर्म XIV के साथ पढ़ते हुए विशेष रूप से पुनः-मूल्यांकन की आवश्यकता के बारे में निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी की संतुष्टि की आवश्यकता है, पहले इस संबंध में नोटिस जारी करने से। पुनः-मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत और इसके बाद का पुनः-मूल्यांकन आदेश दिनांक 27.02.2006 अवैध है क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी के पास आकलन से बचने के लिए उचित आधार की संतुष्टि नहीं थी। इसलिए, इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

9. सीनियर वकील ने आगे तर्क किया कि यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थता के परिस्थितियाँ क्या थीं। निर्धारण वर्ष (AY) 1991-92 है। इसी संबंध में मूल्यांकन आदेश 24.01.1996 को पारित किया गया। पुनः-मूल्यांकन की पेशकश करते हुए शो-काँज नोटिस 28.09.2000 को अपीलकर्ता कंपनी को जारी किया गया, जिसे अपीलकर्ता कंपनी ने 13.11.2000 को पत्र के माध्यम

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य

से विस्तार से उत्तर दिया। इसके बाद, पांच वर्षों की अवधि के लिए कोई संचार नहीं हुआ और अपीलकर्ता कंपनी ने 13.11.2000 के पत्र को शो-काँज नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानते हुए, सभी अभिलेख को अपने डंपिंग याड्स में चेन्नई भेज दिया। सीनियर वकील ने तर्क किया कि उपरोक्त परिस्थितियों के कारण अपीलकर्ता कंपनी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने में विफलता पूरी तरह से इच्छाशक्ति नहीं थी।

10. सीनियर वकील ने अंत में तर्क किया कि पुनः-मूल्यांकन आदेश दिनांक 27.02.2006 अवैध है और लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर आकलन प्रक्रिया को पुनः-मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राज्य अधिनियम की धारा 19 के तहत 'जानकारी' के रूप में नहीं माना जा सकता। विवादित आदेश वही राय का परिवर्तन है जो उस समय उपलब्ध तथ्यों और कानून पर आधारित है जब मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था।

11. उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, अर्थात्, **मिस भारतीय और ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी, नई दिल्ली बनाम आयकर आयुक्त, नई दिल्ली** (1979) 4 एससीसी 248, **भीमराज मदानलाल बनाम बिहार राज्य और अन्य** (1984) 56 एसटीसी 273, **उषा सेल्स (प्रा.) लि. बनाम बिहार राज्य** (1985) 58 एसटीसी 217 और **उप आयुक्त बिक्री कर (कानून), राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम मिस थॉमस स्टीफन और कंपनी लि., क्विलोन** (1988) 2 एससीसी 264।

12. *इसके विपरीत*, प्रतिवादी-राज्य के लिए सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया कि आकलन अधिकारी ने केवल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आकलन को संशोधित नहीं किया है, बल्कि उसने संशोधन से पहले स्वयं को संतुष्ट किया और यह तथ्य देखा जा सकता है कि उसने ऑडिट की कुछ राय को अस्वीकार किया और आदेश पारित करने से पहले अपनी सोच का उपयोग किया।

13. प्रतिवादी-राज्य के लिए सीनियर वकील ने आगे कहा कि इस मामले में 'लेखापरीक्षा आपत्ति' राज्य अधिनियम की धारा 19 के तहत 'जानकारी' है और सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ने सही तरीके से टर्नओवर का पुनः-मूल्यांकन किया और कानूनी रूप से देय कर की मांग की जो कि छूट गई थी। उन्होंने आगे कहा कि धारा में प्रयुक्त 'जानकारी' शब्द सबसे व्यापक अर्थ में आता है और इसमें बाहरी स्रोतों से किसी भी प्रकार की जानकारी शामिल होती है, जिसमें नए तथ्यों की खोज या आकलन अभिलेख में उपलब्ध जानकारी जो पहले ध्यान में नहीं आई थी, शामिल है।

14. प्रतिवादी-राज्य के लिए सीनियर वकील ने कहा कि यदि अभिलेख में स्पष्ट गलती है, तो वह अभिलेख स्वयं जानकारी का स्रोत हो सकता है, यदि वह जानकारी आकलन के छूट होने की खोज या विश्वास की ओर ले जाती है। उन्होंने अंत में कहा कि पुनः-मूल्यांकन आदेश दिनांक 27.02.2006 और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2006 में कोई अवैधता नहीं है और अपीलकर्ता कंपनी की मांग को खारिज किया जाना चाहिए।

15. अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, अर्थात्, **आयकर आयुक्त बनाम पी. वी. एस. बीडीज़ प्रा. लि.** (1998) 9 एससीसी 272, **आनंदजी हरिदास और कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एस. पी. कास्तुरे और अन्य** एआईआर 1968 एससी 565, **कस्टम्स आयुक्त, मुंबई बनाम विर्गो स्टील्स, बॉम्बे और अन्य** (2002) 4 एससीसी 316, **सुप्रीम पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त,**

वाणिज्यिक कर, कलकत्ता और अन्य (2010) 11 एससीसी 593 और चट्टराम और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, बिहार एआईआर 1947 एफसी 32.

चर्चा:

16. इस मामले में, ऑडिटर जनरल की ऑडिट टीम ने मूल्यांकन आदेश दिनांक 24.01.1996 का ऑडिट किया और पाया कि डीलर को 3,12,47,916/- रुपये की छूट दी गई थी, जो कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा कार्यान्वयन के दौरान उपभोग की गई वस्तुओं के लिए थी। अपीलकर्ता कंपनी का दावा है कि ये वस्तुएं कर का भुगतान करके खरीदी गई थीं, लेकिन फॉर्म IX-C और अन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यही तथ्य आकलन अधिकारी को सूचित किया गया, जिसने इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता कंपनी को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया। फॉर्म IX-C का उत्पादन अनिवार्य माना गया और अपीलकर्ता कंपनी का दावा खारिज कर दिया गया और एक पुनः-मूल्यांकन आदेश दिनांक 27.02.2006 को अतिरिक्त कर की मांग के साथ पारित किया गया।

17. विचार करने के लिए बिंदु यह है कि क्या 'लेखापरीक्षा आपत्ति' को राज्य अधिनियम की धारा 19 के तहत 'जानकारी' के रूप में समझा जा सकता है, जिस आधार पर असेसिंग अधिकारी ने संतुष्ट किया कि कोई हिस्सा अपीलकर्ता कंपनी का आकलन से बच गया है?

18. अपीलकर्ता कंपनी के लिए सीनियर वकील ने तर्क किया कि यह केवल राय का परिवर्तन है जिससे पुनः-मूल्यांकन आदेश आया है और यह राज्य अधिनियम की धारा 19 के तहत जानकारी नहीं है। प्रतिवादी-राज्य के लिए सीनियर वकील ने कहा कि इस मामले में 'लेखापरीक्षा आपत्ति' निश्चित रूप से धारा 19 के तहत 'जानकारी' है और उच्च न्यायालय ने सही रूप से पुनः-मूल्यांकन आदेश दिनांक 27.02.2006 को बरकरार रखा है।

19. उपर्युक्त को देखते हुए, बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 19 का उद्धरण देना प्रासंगिक है, जो निम्नलिखित है:

"19. पंजीकृत डीलर का टर्नओवर जो आकलन से बच गया - (1) यदि ऐसी सूचना के आधार पर जो उसकी कब्जे में आ चुकी है, निर्धारित प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि कोई पंजीकृत डीलर या ऐसा डीलर जिसे धारा 14 की उपधारा (2) के तृतीय उपबंध के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार किया गया है, के किसी भी अवधि के संदर्भ में कोई टर्नओवर किसी कारणवश आकलन से बच गया है या किसी ऐसे डीलर या डीलर का टर्नओवर जिसकी आकलन धारा 17 की उपधारा (5) के तहत की गई है, उसे कम आंका गया है या उस पर लागू दर से कम पर आंका गया है या कोई कटौती गलत तरीके से की गई है, तो निर्धारित प्राधिकरण ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस भाग के तहत बनाए जा सकते हैं, निम्नलिखित कर सकता है:

(a) आकलन या पुनः-मूल्यांकन के आदेश की तारीख से आठ वर्षों के भीतर, जहां उक्त प्राधिकरण को विश्वास हो कि डीलर ने जानबूझकर ऐसे टर्नओवर का विवरण छिपाया, छोड़ा या प्रकट नहीं किया है या उसने ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रदान किया है और इस प्रकार कम आंकड़े लौटाए हैं,

(b) किसी अन्य मामले में, आकलन या पुनः-मूल्यांकन के आदेश की तारीख से आठ वर्षों के भीतर।"

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य

डीलर को एक नोटिस जारी करें जिसमें धारा 17 की उपधारा (2) के तहत नोटिस में शामिल की जा सकने वाली सभी या किसी भी आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है और उस टर्नओवर के संदर्भ में डीलर से कर की राशि की आकलन या पुनः-मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और इस भाग की प्रावधानों को उसी तरह लागू किया जाएगा जैसे कि इस उपधारा के तहत नोटिस धारा 17 की उपधारा (2) के तहत नोटिस हो।

उपबंध: कर की राशि की आकलन या पुनः-मूल्यांकन तब की जाएगी जब उस अवधि के दौरान अनुमेय कटौतियों की अनुमति दी जाएगी और दरें वही होंगी जिन पर कर की आकलन की जाती यदि टर्नओवर आकलन से बच गया होता या पूरी आकलन की जाती, जैसा कि मामला हो।

स्पष्टीकरण: - निर्धारित प्राधिकरण के सामने ऐसे खातों, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों की प्रस्तुति जिनसे सामग्री तथ्यों को उचित परिश्रम से खोजा जा सकता था, इसका मतलब इस धारा के तहत पूर्ण प्रकटीकरण नहीं होगा।

(2) (a) निर्धारित प्राधिकरण, उपधारा (1) के खंड (a) के अंतर्गत मामले में, निर्देशित करेगा कि डीलर को दंड के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करना होगा जो तीन गुना तक हो सकती है लेकिन कर की राशि के समकक्ष कम नहीं हो सकती जो कि या तो असेस किया गया है या असेस किया जा सकता है।

(b) खंड (a) के तहत लगाए गए दंड की राशि उस टर्नओवर पर लगाए गए या किए जा सकने वाले कर के अतिरिक्त होगी, और दंड लगाने का आदेश आकलन के आदेश से पहले हो सकता है।

(c) खंड (a) के तहत दंड की राशि निर्धारित करते समय, जहां दंड आकलन से पहले होता है, निर्धारित प्राधिकरण को अस्थायी रूप से निर्धारित तरीके से दमन की राशि और उस पर कर की मात्रा को आंकना होगा।

(d) इस उपधारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा बिना डीलर को निर्धारित तरीके से सुनवाई का अवसर दिए बिना।

(3) इस धारा के तहत की गई कोई भी आकलन या पुनः-मूल्यांकन और लगाए गए दंड किसी भी कार्रवाई के पूर्वग्रह के बिना होगी जो कि धारा 49 के तहत की जा सकती है।

19. धारा 19 की उपधारा (1) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि यदि किसी सूचना के आधार पर निर्धारित प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि किसी पंजीकृत डीलर या ऐसे डीलर का कोई टर्नओवर, जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार किया गया है, किसी भी अवधि के संदर्भ में, किसी कारणवश आकलन से बच गया है या किसी ऐसे डीलर का टर्नओवर जिसकी आकलन धारा 17 की उपधारा (5) के तहत की गई है, उसे कम आंका गया है या उसे सही दर से कम पर आंका गया है, तो निर्धारित प्राधिकरण आकलन के आदेश की तारीख से आठ वर्षों के भीतर, ऐसे टर्नओवर के संदर्भ में कर की राशि की आकलन या पुनः-मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

20. त्वरित संदर्भ के लिए, मूल्यांकन आदेश दिनांक 24.01.1996 का प्रासंगिक अंश भी यहाँ उद्धृत किया गया है:

"कंपनी ने अपनी टेंडर कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का उपयोग किया है और यदि हम दोनों को अलग कर दें, तो यह इस प्रकार है:

कैम्प उपकरण	Rs. 2,27,301.00
कार्य स्थल के लिए इलेक्ट्रिक सामान	Rs. 7,73,223.00
इलेक्ट्रोड वेल्डिंग केबल और एक्सेसरीज़	Rs. 8,71,294.00
ईंधन और तेल	Rs. 31,89,205.00
सामान्य उपभोग वस्तुएं	Rs. 29,45,086.00
(हैंडग्लव्स) कंटेनवेस्ट	
ऑक्सीजन और डी.ए. गैस	Rs. 21,223.00
शटरिंग के लिए प्लायवुड	Rs. 28,26,674.00
सुरक्षा उपकरण	Rs. 4,08,392.00
स्पेयर पार्ट्स	Rs. 82,32,442.00
स्टेजिंग सामग्री	Rs. 38,88,798.00
शटरिंग और वॉकवे (टिम्बर के लिए)	Rs. 41,91,982.00
उपकरण और टैकल्स	Rs. 36,72,296.00

कुल Rs. 3,12,47,916.00"

21. 'सूचना' के शब्द का सही अर्थ समझना भी महत्वपूर्ण है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, 'सूचना' का मतलब होता है किसी के बारे में बताई गई, सुनी गई या खोजी गई तथ्य। लॉ लेक्सिकॉन के अनुसार, 'सूचना' का मतलब है सूचित करने की क्रिया या प्रक्रिया, संचार या ज्ञान प्राप्ति। 'सूचना' का अर्थ होता है किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त निर्देश या ज्ञान जो आकलन से संबंधित तथ्यों या पक्षों के बारे में हो। हम सहमत हैं कि केवल एक राय का परिवर्तन या उसी तथ्यों और सामग्री पर दूसरी सोच से काम नहीं चल सकता है और यह 'सूचना' के तहत नहीं आता। लेकिन उपर्युक्त धारा में प्रयुक्त "सूचना" शब्द की व्यापकता है और इसे संकीर्ण रूप में नहीं समझना चाहिए। यह केवल बाहरी स्रोतों से मिली जानकारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि नए तथ्यों की खोज या ऐसे तथ्यों की जानकारी को भी शामिल करता है जो अभिलेख में पहले नोटिस में नहीं आए थे या जांचे नहीं गए थे। यदि आकलन के मूल आदेश में कोई गलती नहीं पाई जाती है और आगे की जांच में यदि यह किसी अन्य असेसर या यहां तक कि

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य

अधीनस्थ या वरिष्ठ अधिकारी के ध्यान में आती है, तो इसे उस अधिकारी को प्रदान की गई सूचना के रूप में माना जाएगा। यदि गलती स्वयं अभिलेख से बाहरी नहीं है और सूचना प्राप्तकर्ता ने जानकारी अभिलेख से प्राप्त की है, तो ऐसे परिस्थितियों में अधिकारी के लिए सूचना एक प्रकार से अभिलेख से बाहरी होगी। यह धारा 19 के तहत उसकी जानकारी होगी। स्पष्ट अभिलेख पर स्पष्ट गलतियों के मामलों में, वही अभिलेख सूचना का स्रोत बन सकता है, यदि वह सूचना आकलन के बचने या कम आकलन या गलत आकलन की खोज या विश्वास की ओर ले जाती है।

22. इस अदालत के कई निर्णयों में यह कहा गया है कि आकलन प्रक्रिया को दोबारा खोला जा सकता है यदि लेखापरीक्षा आपत्ति अभिलेख में पहले से उपलब्ध तथ्यों की जानकारी को इंगित करती है और इसे अनदेखा किया गया या ध्यान में नहीं लिया गया। इसी प्रकार, यदि ऑडिट अभिलेख के बाहर कुछ जानकारी या तथ्य इंगित करता है या कोई गणितीय गलती करता है, तो आकलन को दोबारा खोला जा सकता है।

23. **P.V.S. Beedies (उपर)** में, इस अदालत ने कहा:

"3. हमें लगता है कि दोनों, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने गलती की है कि आंतरिक ऑडिट पार्टी द्वारा दी गई सूचना को आयकर अधिनियम की धारा 147(b) के तहत सूचना के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑडिट पार्टी ने केवल एक तथ्य को इंगित किया है जिसे आयकर अधिकारी ने आकलन में अनदेखा किया था। यह मामला कानून के सवाल पर सूचना का नहीं है। ऑडिट पार्टी द्वारा कानून के प्रश्न पर राय व्यक्त करने के बाद पुनः खोलने की अनुमति पर विवाद अब इस अदालत के बड़े बेंच द्वारा विचाराधीन है। कोई विवाद नहीं है कि ऑडिट पार्टी को आकलन में एक तथ्यात्मक त्रुटि या चूक को इंगित करने का अधिकार है। ऑडिट पार्टी द्वारा इंगित की गई तथ्यात्मक त्रुटि के आधार पर मामले का पुनः खोलना कानून के तहत अनुमेय है। इसलिए हम मानते हैं कि धारा 147(b) के तहत मामले का पुनः खोलना इस मामले की तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर आंतरिक ऑडिट पार्टी द्वारा दिया गया और कानूनी रूप से मान्य था। अपील में निर्णय इस हद तक रद्द किया जाता है।"

(प्रमुखता जोड़ते हुए)

24. इसी प्रकार, **आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाम मिस गुरबक्स राय हरबक्स राय (1971) 3 एससीसी 654** में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"6. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, यदि अतिरिक्त लाभ कर अधिकारी को ऐसी ठोस सूचना प्राप्त होती है जिसके आधार पर वह पाता है कि किसी कर योग्य लेखा अवधि के लाभों की आकलन से बचाव हुआ है, आदि, तो वह किसी भी समय एक नोटिस जारी कर सकता है जिसमें सभी या किसी भी आवश्यकताओं को शामिल किया जा सकता है जो धारा 13 के तहत नोटिस में हो सकती हैं और वह ऐसे लाभों की आकलन या पुनः-मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यह अधिकार मूल आकलन या पुनः-मूल्यांकन के दौरान प्रयोग किया जा सकता है। इस अदालत द्वारा स्थापित कानून के अनुसार, किसी भी कार्रवाई की शुरुआत या आदेश जारी करने से पहले यह आवश्यक है कि एक ऐसा मामला चल रहा हो जो अतिरिक्त लाभ कर की आकलन या पुनः-मूल्यांकन के लिए हो....."

"7. पहले प्रश्न पर, श्री एम. सी. छागला का आकलनकर्ता के लिए तर्क है कि कर अधिकारी के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं थी जिससे यह कहा जा सके कि उसने पाया कि संबंधित प्रभार्य लेखा अवधि का मुनाफा आकलन

से बच गया है। हम इस पर सहमत नहीं हो सकते। अपीलीय सहायक आयुक्त ने 10 अक्टूबर, 1947 को आकलनकर्ता के आयकर के संबंध में कार्यवाही में एक आदेश पारित किया था कि गुरबक्स राय की चल संपत्ति के व्यापार के संबंध में केवल आंशिक विभाजन हुआ था। यह निश्चित रूप से एक जानकारी थी जो अति लाभ कर अधिकारी के पास किसी भी राय परिवर्तन के कारण नहीं बल्कि आयकर कार्यवाही में अपीलीय सहायक आयुक्त के निर्णय के कारण आई थी। इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि आयकर अधिकारी को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34(1)(b), जो अधिनियम की धारा 15 के साथ समान है, के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होता है यदि वह उच्चतर प्राधिकरणों या न्यायालय के निर्णय से प्राप्त जानकारी पर कार्य करता है, यहां तक कि आकलन कार्यवाही में भी। (देखें आर. बी. बंसीलाल अबीरचंद फर्म बनाम सीआईटी और एस्टेट इयूटी के सहायक नियंत्रक, हैदराबाद बनाम नवाब सर उस्मान अली खान बहादुर, एच.ई.एच. निजाम ऑफ हैदराबाद और अन्य)। यह भी तर्क दिया गया है कि आंशिक विभाजन का कथित उद्देश्य, अर्थात् अति लाभ कर की देयता को कम करना, आयकर कार्यवाही में अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा कभी भी जांचा नहीं गया और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनके आदेश से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप आय का बचाव हुआ है। अपीलीय सहायक आयुक्त ने स्पष्ट रूप से उस प्रश्न पर विचार नहीं किया क्योंकि उनके समक्ष कार्यवाही आयकर के आकलन से संबंधित थी। अधिनियम की धारा 10-ए एक विशेष प्रावधान है जो अति लाभ कर की देयता से बचने या उसे कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए लेनदेन से संबंधित है। आंशिक विभाजन के प्रभाव की जानकारी जो अति लाभ कर अधिकारी के पास आई, वह धारा 15 के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थी और एक बार जब उसने उस धारा के तहत कार्यवाही शुरू की तो वह धारा 10-ए के लिए पूरी तरह से सक्षम और अधिकार क्षेत्र में था कि यह जांचने के लिए कि आंशिक विभाजन अति लाभ कर की देयता से बचने या उसे कम करने के लिए किया गया था। इसलिए, पहले प्रश्न का उत्तर आकलनकर्ता के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में होना चाहिए था।"

(प्रमुखता जोड़ते हुए)

25. मिस फूल चंद बजरंग लाल और अन्य बनाम आयकर अधिकारी और अन्य (1993) 4 एससीसी 77 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"25..... वह पुनःमूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है या तो क्योंकि कुछ नई बातें प्रकाश में आई हैं जो पहले घोषित नहीं की गई थीं या कुछ सूचना जो पहले घोषित तथ्यों के बारे में है, उसके पास आती है जो उन तथ्यों की असत्यता को उजागर करती है। ऐसी परिस्थितियों में, यह केवल वही तथ्य नहीं हैं जो पहले उपलब्ध थे बल्कि नई सूचना पर आधारित कार्रवाई है, न कि केवल राय का परिवर्तन या पहले उपलब्ध तथ्यों से भिन्न निष्कर्ष निकालना है।"

26. यह प्रश्न कि क्या अभिलेख पर पहले से उपलब्ध तथ्यों से प्राप्त जानकारी 'सूचना' के रूप में मानी जाती है, इसका उत्तर आनंदजीहरिदास एंड कंपनी बनाम एस.पी. कस्तूर AIR 1968 SC 565 में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अभिलेख में पहले से मौजूद तथ्य केवल उनकी उपलब्धता से 'सूचना' का हिस्सा नहीं बनते जब तक कि उन्हें आकलन अधिकारी के ध्यान में न लाया जाए। इसलिए, लेखापरीक्षा आपत्तियाँ धारा 19 के तहत 'सूचना' के रूप में मानी जा सकती हैं।

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य

27. 'सूचना' का अर्थ है बाहरी स्रोत से प्राप्त निर्देश या ज्ञान जो तथ्यों या पार्टियों या कानून से संबंधित हो और आकलन पर प्रभाव डालता हो। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सूचना प्राप्त होने के आधार पर और यदि असेसिंग अधिकारी संतुष्ट होता है कि उचित कारण हैं, तो ऐसी स्थिति में आकलन अधिकारी का अधिकार पुनःमूल्यांकन तक बढ़ता है, यदि किसी कारणवश व्यवसाय के पूरे या किसी भाग का टर्नओवर छूट गया हो या कम मूल्यांकन किया गया हो। ऐसे मामलों में आकलन वैध होगी भले ही पहले की आकलन अधिकारी ने जिन सामग्रियों के आधार पर आदेश पारित किया था और उत्तराधिकारी आकलन अधिकारी ने जिन सामग्रियों के आधार पर कार्यवाही की, वे समान थीं। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले में आकलन अधिकारी संतुष्ट थी या नहीं।

28. इस बिंदु पर, हम उपयुक्त मानते हैं कि ऑडिट टीम और आकलन अधिकारी के बीच हुई बातचीत को पुनःमूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए धारा 19 के तहत की गई बातचीत को उद्धृत करें:

"भाग - II

धारा - 'A'

अध्याय 1. खरीद कर की गैर-लगान	₹. 24,19,385.31
डीलर का नाम	M/s Larsen & Toubro Ltd., ECC Construction Group, Jamshedpur
पंजीकरण संख्या	JU 848 ®
व्यापार की प्रकृति	वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट
निर्धारण वर्ष	1991-92
आदेश की तारीख	24.01.1996
जी.टी.ओ. निर्धारित	₹. 17,57,01,372.00
कम: कर चुकाए गए सामान की बिक्री	₹. 1,31,75,779.63
₹. 16,25,25,592.37	-----
कम: सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए कार्य	₹. 27,17,304.00
₹. 15,98,08,208.37	-----
कम: श्रम शुल्क और ओवरहेड शुल्क	₹. 11,91,66,742.38

	₹. 4,06,41,465.99"

कर लगाया गया:

@4% पर ₹. 17,48,096.90	₹. 69,923.00
@8% पर ₹. 1,96,71,099.14	₹. 15,73,678.93
@9% पर ₹. 1,45,34,488.10	₹. 13,08,103.92
@10% पर ₹. 2,048.00	₹. 204.80
@11% पर ₹. 4,82,125.70	₹. 53,033.86
@12% पर ₹. 42,03,608.15	₹. 5,04,432.97

	₹. 35,09,387.36
जोड़ें: 1% कर ₹. 5,55,08,612.25 पर	₹. 5,55,086.12

	₹. 40,64,473.48
10% अधिभार ₹. 39,94,549.60 पर	₹. 3,99,454.00

	₹. 44,63,928.44
धनराशि धारा 16 (8) के तहत	₹. 920.00

	₹. 44,64,848.44

मूल्यांकन आदेश की समीक्षा से पता चला कि व्यापारी को श्रम शुल्क और ओवरहेड शुल्क के आधार पर 11,91,66,742.38 रुपये की छूट दी गई थी, जैसा कि नीचे विवरणित है:

श्रम शुल्क	₹. 7,02,77,549.00
ओवरहेड शुल्क	₹. 1,87,15,545.00
काम के निष्पादन के दौरान खपत की गई सामग्री	₹. 3,12,47,916.00

	₹. 12,02,41,010.00

उपरोक्त दावे में से ₹. 10,74,267.62 रुपये की राशि हमें अस्वीकार कर दी गई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया

रु०:

कर भुगतान का दावा अस्वीकृत	₹. 3,50,698.37
सीमेंट की कर योग्य वसूली	₹. 2,20,972.50

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य

प्लांट हायर शुल्क की राशि

₹. 5,02,596.75

₹. 10,74,267.62

व्यापारी ने अनुबंध कार्य में उपयोग की गई सामग्री और अपनी उपयोग के लिए खपत की गई वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत किया। मूल्यांकन आदेश की समीक्षा से पता चला कि व्यापारी को 3,12,47,916.00 रुपये की छूट दी गई थी, जो कि काम के निष्पादन के दौरान खुद खपत की गई या उपयोग की गई वस्तुओं की राशि थी, जिसके विवरण मूल्यांकन आदेश में चर्चा किए गए थे। मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा यह कहा गया कि ऐसी वस्तुएं कर का भुगतान करके खरीदी गई थीं, लेकिन IX C फॉर्म के साथ अन्य प्रमाण दस्तावेजों का अभिलेख में नहीं रखा गया था। IX C फॉर्म का प्रस्तुत करना अनिवार्य था और इसलिए दावा मान्य नहीं था।

राज्य के बाहर से प्राप्त की गई या राज्य के भीतर बिना कर का भुगतान किए खरीदी गई सभी सामग्री सामान्यतः बी.एफ. एक्ट 1981 की धारा 12 के तहत निर्दिष्ट दरों पर कर के लिए लागू होती है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत, प्रत्येक व्यापारी जो अधिनियम की धारा 3 के तहत भुगतान के लिए जिम्मेदार है, यदि अन्यथा वस्तुओं का निपटान किसी भी तरीके से बिक्री के रूप में नहीं करता है, तो उसे भी खरीद कर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस संबंध में कर्नाटका उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के माननीय निर्णय की संदर्भित किया गया है जैसे कि चेव्वाबो बनाम कर्नाटका राज्य (1986) 62 STG 194 (Se) मामले में यह स्पष्ट किया गया कि इस धारा में वस्तुओं का निपटान (कर्नाटका के समान) बिक्री के अलावा अन्य तरीके से शीर्षक का स्थानांतरण, उपहार, व्यक्तिगत उपयोग या खपत शामिल होता है। बी.एफ. एक्ट की धारा 4 तमिलनाडु सामान्य कोर्ट की धारा 7 ए के समान है, जहां राज्य बनाम एम.के. कंडास्वामी (1975 36 STC 191) के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि (1) यह धारा अधिनियम में एक अलग चार्जिंग प्रावधान है और धारा 3 के अधीन नहीं है और (2) वस्तुओं को कर के अंतर्गत लाती है, जिनकी बिक्री सामान्यतः राज्य में उसी बिंदु पर या अन्य बिंदु पर कर योग्य होती, लेकिन उन्हें नष्ट करने या अन्य कारणों से कर नहीं लगाया गया। इसलिए, खुद के उपयोग के लिए खपत की गई वस्तुओं पर खरीद कर लागू था। चूंकि लागत मूल्य/खरीद मूल्य को व्यापारी के खुद के उपयोग के लिए वस्तुओं के मूल्य के रूप में दर्शाया गया था, इसलिए अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट दर पर कर लागू होता था। इस मामले में, भले ही समान शुल्क जैसे कि इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग केबल्स, वेल्डिंग उपकरण, ईंधन और लुब्रिकेंट्स, ऑक्सीजन और पी.ए. गैस सुरक्षा, सुरक्षा उपकरण 44,90,114.00 रुपये मूल्य पर कर योग्य नहीं माना गया, फिर भी 2,67,57,802.00 रुपये मूल्य की खपत की गई वस्तुएं निर्दिष्ट दरों पर कर के लिए आकर्षित की गईं।

उपरोक्त अवलोकन के प्रकाश में मामला फिर से जांचा जाना चाहिए और 24,19,385.31 रुपये (अधिक कर और अधिभार सहित) के खरीद कर के आरोप पर विचार किया जाना चाहिए।

क्रमिक संख्या	वस्तुओं का नाम	खरीद मूल्य	लागू दर	खरीद कर का गैर-प्रभार
1.	शिविर उपकरण, सामान्य उपभोग्य वस्तुएं, शटरिंग के लिए प्लाईवुड, स्पेयर और स्थाई सामग्री	₹. 1,81,20,301.00	8%	₹. 14,49,624.08
2.	विद्युत सामान और लकड़ी	₹. 49,65,205.00	12%	₹. 5,95,824.60
3.	उपकरण और युक्तियां	₹. 36,72,296.00	4%	₹. 1,46,891.84
				₹. 21,92,340.52
				₹. 20,454.48
				₹. 22,12,795.00
	अतिरिक्त कर @ 1%	20,45,448.68 पर		₹. 2,06,590.31
	अधिभार @ 10%	20,65,903.16 पर		₹. 24,19,385.31

ईंधन और स्नेहक के उपयोग को विभाजित किया जाना चाहिए और केवल स्नेहक के मूल्य को कर लगाया जाना चाहिए।

ऑडिट में संकेत दिए जाने पर, यह कहा गया कि चूंकि वस्तुओं को कार्य अनुबंध के प्रावधानों के तहत संविदाकर्ता कंपनी को स्थानांतरित नहीं किया गया था, बल्कि इसका उपभोग किया गया था, इसलिए यह कराधान के दायरे में नहीं आता। उपरोक्त निर्णयों के दृष्टिगत यह उत्तर टिकाऊ नहीं है और इसलिए मामले की समीक्षा आवश्यक थी।

(प्रमुखता जोड़ते हुए)

29. उपरोक्त ऑडिट पार्टी की रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि निर्धारण अधिकारी की राय थी कि चूंकि वस्तुओं को अपीलकर्ता कंपनी को स्थानांतरित नहीं किया गया था, बल्कि इसका उपभोग किया गया था, इसलिए यह कराधान के दायरे में नहीं आता। दूसरे शब्दों में, निर्धारण अधिकारी ऑडिट पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि अपीलकर्ता कंपनी का कोई भी टर्नओवर मूल्यांकन से बच गया था ताकि राज्य अधिनियम की धारा 19 को लागू किया जा सके। उपरोक्त से यह भी प्रतीत होता है कि निर्धारण अधिकारी को ऑडिट पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नोटिस जारी करना पड़ा और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि पर नहीं, जो कि कानून के तहत अनुमति नहीं है।

30. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, हम इस विचार में हैं कि 27.02.2006 को उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शहरी सर्कल, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज करके सही नहीं किया। इसलिए, हम अपील को अनुमति देते हैं और 27.02.2006 को उप

एम/एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य

आयुक्त, वाणिज्यिक कर, शहरी सर्कल, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश को साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा 17.11.2006 को पारित आदेश को रद्द करते हैं। हालांकि, पक्षकार अपने-अपने खर्च वहन करेंगे।

दिव्या पांडेय

अपील मंजूर।

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।